अपील सूचना अधिकार संख्या 24/2017 अनवानी इंद्राज पुत्र रामप्रताप निवासी विशाल फोटो स्टेट नजदीक ओबीसी बैंक कोर्ट रोड संगरिया जिला हनुमानगढ बनाम लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30–08–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री इन्द्राज उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री इन्द्राज ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.01.17 के द्वारा एसडीएम, श्रीविजयनगर से निम्न सूचनाए चाही थीः–

1. श्रीमान आपके अधीन ग्राम पंचायत 48 जीबी के सरपंच के नाम निर्देशन फार्म सन 2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलावे।
2. श्रीमान आपके अधीन ग्राम पंचायत 48 के निर्वाचित सरपंच के शैक्षिक दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलावे।
3. श्रीमान ग्राम पंचायत 48 जीबी सरपंच के विरूद्ध जांच का मुकदमा (केस) चल रहा है तो उसके दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलावे।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा एसडीएम श्रीविजयनगर से चाही गई सूचना का उनके द्वारा कोई जबाब नही दिया गया है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 1420 दिनांक 31.03.17 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र दिनांक 25.01.17 उनके कार्यालय में दिनांक 07.02.17 को प्राप्त हुआ है जिसकी सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 598 दिनांक 16.02.17 के द्वारा प्रार्थी को भिजवा दी गई थी।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर द्वारा पत्र सं0 598 दिनांक 16.02.17 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरपंच ग्राम पंचायत 48 जीबी पंचायत समिति श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन फार्म तथा संलग्न दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति चाही गई है।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि पंचायत आम चुनाव के दौरान सरपंच ग्राम पंचायत 48 जी0बी0 द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन फार्म एवं संलग्न समस्त दस्तावेज जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर के रिकार्ड में जमा हो चुके है। सरपंच ग्रम पंचायत 48 जी0बी के विरूद्ध इस कार्यालय स्तर पर कोई जॉच विचाराधीन नही है।

अतः आप इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर के कार्यालय में नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करे।

शा.
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ से संबंधित रिकार्ड उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के कार्यालय में उपलब्ध न होकर बल्कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर के कार्यालय में उपलब्ध होना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत करवाया गया है। जिस कारण उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 16.02.17 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर